मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्रमांक/ 10297 /MIS/NR-10/MGNREGA-MP/11 भोपाल, दिनांक 03/11/2011

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत – सीहोर
   मध्यप्रदेश

विषय :– एम.आई.एस. के माध्यम से मजदूरी भुगतान सूची तैयार करना तथा एम.आई.एस. की कार्ययोजना।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मस्टर रोल तैयार होने एवं मुल्यांकन के बाद ग्राम पचांयत द्वारा मजदूरी भुगतान सूची तैयार कर **संबधित बैंक/पोस्ट आफिस को** भेजी जा रही है, जहां बैको में पुनः उसे इलेक्ट्रानिक रुप/सॉफ्टकापी में बदला जाता है जिससें बैंकों में भुगतान में विलंब होता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि एम.आई.एस. आफ्लाइन साफटवेयर के माध्यम से मजदूरी भुगतान सूची तैयार कर बैको को भेजी जावे। इस हेतु आवश्यक है कि मस्टर रोल जारी करने से लेकर मजदूरी भुगतान सूची तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रियाओं की समयबद्व एवं क्रमानुसार मास्टर डाटा फीडिंग कार्य योजना पद अमल किया जावे जो निम्नानुसार है–

1. **एम.आई.एस. के माध्यम से मजदूरी भुगतान सूची तैयार करने हेतु कार्य योजना निम्नुानुसार होगी– (प्रारंभ में केवल आफलाईन सॉफ्टवेयर हेतु)**
   - **1.1** कार्यवार जारी किए जाने वाले मस्टररोल का विवरण एम.आई.एस. में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
   - **1.2** ग्राम पंचायतों/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा प्रत्येक मस्टररोल को उपयोग होने के उपरान्त अधिकतम 03 दिवस में जनपद पंचायत पर उपलब्ध कराना होगा।
   - **1.3** जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त मस्टररोल की एक प्रति मूल्यांकन के लिए सहायक यंत्री एमजीएनआरईजीएस को उपलब्ध कराना।
   - **1.4** जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त मस्टर रोल को एम.आई.एस. में दर्ज करना होगा।
   - **1.5** सहायक यंत्री द्वारा उपयंत्री के माध्यम से मूल्यांकन अधिकतम 01 सप्ताह में सुनिश्चित करा कर जनपद में जमा कराना होगा।
   - **1.6** ग्राम पंचायत/अन्य क्रियान्वयन एजेंसी को मूल्यांकित मस्टररोल पर मजदूरी भुगतान का विवरण अधिकतम 03 दिवस में एम.आई.एस. में दर्ज करना।
   - **1.7** जनपद पंचायत को मूल्यांकित मस्टररोल अनुसार भुगतान योग्य राशि की जानकारी एम.आइ.एस. में दर्ज उपयोग मस्टर रोल पर अद्यतन करना।
   - **1.8** ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसी को मजदूरी भुगतान सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त करना होगा।
   - **1.9** सॉफ्ट कापी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हार्ड कापी की एक प्रति आवश्यक राशि का चेक सहित जानकारी संबधित बैंक/पोस्ट आफिस में मजदूरी भुगतान हेतु जमा कराना।

प्रत्येक मस्टर रोल पर भुगतान करने हेतु बिन्दु कमांक 1.2 से 1.9 तक की उपरोक्त कार्ययोजना अनुसार अधिकतम 15 दिवस में अमल कर पूर्ण करना ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं सहायक यंत्री एनआरईजीए. की संयुक्त रूप से जिम्मेंदारी होगी।

जनपद पंचायत द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार उपरोक्त प्रक्रियाओं को ग्राम पंचायत/क्रियान्वयन एजेंसियों हेतु आवक/जावक रजिस्टर संधारित किया जाये ।

जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम पंचायत का बैक खाता एवं समस्त मजदूरों के बैंक/पोस्ट ऑफिस के अद्यतन कियाशील खाते एम.आई.एस में दर्ज हो।

- उपयोग/मूल्यांकित मस्टररोल 30 दिन की अवधि में जनपद पंचायत पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त मस्टररोल के भुगतान को अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा एवं जाँच जिला स्तर से कराई जाये।
- उपयोग/मूल्यांकित मस्टररोल 30 दिवस से अधिक तक क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जनपद पंचायत पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो उक्त मस्टररोल के भुगतान को अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा एवं जांच राज्य स्तर से कराई जायेगी।

प्रारंभिक रूप से उक्त कार्य सीहोर जिले के एक जनपद पंचायत में प्रारंभ किया जा रहा है। जिले के परिणामों के परीक्षण एवं विश्लेषण करने के उपरान्त एक माह पश्चात आवश्यक दिशा निर्देशों सहित उक्त कार्ययोजना को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।

2/11/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त

पृ.क्रं/ 10298 **/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/11** **भोपाल, दिनांक** 03 /11/2011

प्रतिलिपि+:–

- प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- जिला कलेक्टर समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की ओर सूचनार्थ।

2/11/11

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद